न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, कोटा

कमरानं. 09, कलेक्ट्रेट परिसर, कलेक्ट्रेट, नयापुरा, कोटा, राज.:–0744–2325871

GCMS NO.-2023/622

मिसलनम्बर– 79 / 2023

1.रामावतार खण्डेलवाल पुत्र स्वर्गीय श्री नन्दलाल खण्डेलवाल जाति महाजन निवासी मकान नं0 21 वीर सावरकर नगर मैन रंगवाड़ी रोड पेट्रोल पम्प के सामने कोटा
2.श्रीमति बृजलता खण्डेलवाल पत्नि श्री रामावतार खण्डेलवाल जाति महाजन निवासी मकान नं0 21 वीर सावरकर नगर मैन रंगवाड़ी रोड पेट्रोल पम्प के सामने कोटा

प्रार्थी।

बनाम

1.श्री मुकेश खण्डेलवाल पुत्र श्री रामावतार खण्डेलवाल जाति महाजन निवासी मकान नम्बर 10–जी–20 महावीर नगर III कोटा
2.श्रीमति प्रियंका खण्डेलवाल पत्नि श्री मुकेश खण्डेलवाल जाति महाजन निवासी मकान नम्बर 10–जी–20 महावीर नगर III कोटा

–:निर्णयः–

(भरण–पोषण एवं वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण अधिनियम के तहत् प्रार्थना–पत्र।)

दिनांक 25.10.24

उपस्थितिः–

1.श्री श्याम सुंदर झालानी प्रार्थीगण अधिवक्ता।
2.श्री अमित कुमार जाटव अप्रार्थीगण अधिवक्ता

भरण–पोषण एवं वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण अधिनियम के तहत् पत्रावली निर्णय प्रार्थना–पत्र वास्ते पेश हुई। पत्रावली में निहित दस्तावेज यथा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र का अवलोकन किया गया। प्रार्थना–पत्र में प्रार्थीपक्ष द्वारा निवेदित सक्षेंपित तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थीगण एक 75 वर्षीय एवं 70 वर्षीय वृद्ध व्यक्ति है, तथा वरिष्ठ नागरकि है,तथा प्रतिपक्षी क्रम 1 प्रार्थीगण का पुत्र एवं प्रतिपक्षी क्रम 2 प्रार्थीगण की पुत्रवधू है। प्रार्थीगण के स्वामित्व का एक तीन मंजिला मकान नम्बर 10–जी–20, महावीरनगर III, कोटा (राज0) में स्थित है. जिसमें प्रार्थी क्रम 1 अपनी पत्नी प्रार्थीया क्रम 2 के साथ निवास करंता था, तथा प्रतिपक्षीगण भी प्रार्थीगण के पुत्र– पुत्रवधु होने के कारण प्रार्थीगण के उक्त मकान में निवास करते थे और वर्तमान में भी प्रतिपक्षीगण उक्त मकान में निवास करते है, तथा प्रार्थीगण का एक लीगल ऑफिस माणक भवन के सामने, न्यू कोलोनी, गुमानपुरा कोटा (राज०) में स्थित है, प्रार्थीगण के साथ प्रतिपक्षीगण आये दिन गाली–गलौच, लडाई झगडा करते है, प्रार्थीगण की कोई सेवा–सुश्रुषा नहीं करतें है, तथा प्रार्थीगण की वृद्धावस्था में उनकी कोई देखभाल आदि नहीं करते है,जबकि प्रतिपक्षीगण का दायित्व है कि प्रतिपक्षीगण प्रार्थीगण की वृद्धावस्था में देखभाल, सार–सम्भाल एवं सेंवा–सूश्रूषा आदि करे,. किन्तु प्रतिपक्षीगण ऐसा नहीं करते है, बल्कि प्रतिपक्षीगण ने प्राथीगण के साथ गाली–गलौच एवं मारपीट करके प्रार्थीगण को उनके स्वामित्व के उक्त मकान नम्बर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा

उपखण्ड अ...

ी–20, महावीनगर III, कोटा (राज0) से घर से निकाल दिया है, तथा उक्त मकान पर ा कर लिया है, तथा गुमानपुरा वले ऑफिस पर भी कब्जा कर लिया है, तथा वर्तमान में ीगण मकान नम्बर 21,वीर सावरकर नगर, मैंन रंगबाडी रोड, पेट्रोल पम्प के सामने, कोटा राज0) में निवास करते है। उक्त प्रकार प्रतिपक्षीगण ने प्रार्थीगण की निजि स्वामित्व की सम्पति मकान जम्बर 10–जी–20, महावीरनगर III, कोटा (राज0) से निकाल दिया है,तथा गुमानपुरा वाले ऑफिस पर भी कब्जा कर लिया है, तथा प्रार्थीगण की कोई सेवा–सुश्रुषा, सार–सम्भाल एवं देखभाल, आदि नहीं कर रहे है, तथा प्रतिपक्षीगण ने प्रार्थीगण को उनके स्वामित्व के उक्त मकान के उपयोग–उपभोग से वंचित कर रखा है, इसलिये प्रार्थीगण प्रतिपक्षीगण को उक्त मकान एवं गुमानपुरा स्थित ऑफिस में नहीं रखना चाहते है। प्रार्थीया क्रम 2 को पेरेलाईसिस का दौरा आ चुका है, तथा प्रार्थीया क्रम 2 का पूरा शरीर जला हुआ है, परन्तु प्रतिपक्षीगण ने पूरे मकान एवं ऑफिस पर कब्जा कर लिया है, तथा प्रार्थी के ऑफिस की इनकम भी प्रतिपक्षी क्रम 1 लेने लग गया है, प्रतिपक्षीगण प्रार्थीगण की इस वृद्धावस्था में सेवा भी नहीं करते है, तथा खाने–पीने को भी नहीं देते है, प्रार्थीगण को टिफिन मंगवाकर खाना पड रहा है, प्रार्थीगण को मकान में किरायेदार भी नहीं रखने देते है. प्रतिपक्षीगण किरायेदारो से भी लडाई–झगडा करके भगा देते है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रतिपक्षीगण से प्रार्थीगण की सम्पति मकान नम्बर 10–जी–20, महावीरनगर III, कोटा (राज0) एवं गुमानपुरा स्थित ऑफिस को खाली कर उसका रिक्त कब्जा प्रार्थीगण को दिलवाया जावे एवं प्रतिपक्षीगण से भरण–पोषण हेतु 25,000/–रूपये मासिक दिलवाया जावे।

प्रार्थना–पत्र को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण की तलबी हेतु नोटिस प्रेषित किये गये। अप्रार्थीगण की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रतिपक्षीगण उक्त परिसर में प्रथम फ्लोर पर निवासरत है तथा उक्त प्रथम फ्लोर मे एक कमरे की चाबी उनके पास रहती है तथा ग्राउण्ड फ्लोर पर प्रार्थीगण का कब्जा है। प्रतिपक्षीगण द्वारा कभी भी प्रार्थीगण के साथ न तो गाली गलौच की तथा ना ही मारपीट की तथा प्रार्थीगण अब भी उक्त मकान में आते जाते रहते है। यहां यह बताना भी उचित होगा कि प्रार्थीगण के प्रतिपक्षी मुकेश के अलावा दो बडे पुत्र क्रमशः अमित खण्डेलवाल एवं कपिल खण्डेलवाल तथा पुत्रवधुये क्रमशः श्रीमती पीयूष खण्डेलवाल एवं श्रीमती हेमलता खण्डेलवाल है तथा प्रार्थी संख्या 2 श्रीमती ब्रजलता खंडेलवाल दिनांक 12.06.2023 को मंदिर मे दीपक जलाते हुए जल गई थी जिसका ईलाज प्रार्थीगण ने नही करवाया। इसके पश्चात प्रतिपक्षीगण स्वयं अपनी माता ब्रजलता खंडेलवाल को नैनीवाल अस्पताल श्रीनाथपुरम कोटा में भर्ती करवाया तथा प्रतिपक्षीगण द्वारा उनकी सेवा सुश्रूषा की तथा प्रतिपक्षीगण स्वयं अस्पताल मे टिफिन लेकर जाता तथा अपनी माता का ईलाज भी करवाया। प्रार्थीगण कभी भी मकान 10–जी– 20 में आते जाते है तथा गुमानपुरा वाले परिसर में एक छोटे से कमरे में प्रतिपक्षी संख्या 1 मुकेश खण्डेलवाल इनकम टेक्स एडवोकेट का व्यवसाय कर रहा है तथा सम्पूर्ण परिसर का किराया प्रार्थींगण स्वयं प्राप्त करते है। प्रतिपक्षी संख्या 1 पिछले 20 वर्षो से प्रार्थी सख्या 1 के साथ ऑफिस में बैठकर जोईन्ट व्यवसाय कर रहा है परन्तु उक्त जोईन्ट व्यवसाय से होने वाली आय को प्रार्थी संख्या 1 स्वयं अपने पास ही रखते हैं तथा प्रतिपक्षी संख्या 1 को पिछले 20 वर्षों से केवलमात्र नौकर की भांति ही यूज किया, दिनांक 01.04.2017 में जीएसटी लागू हो जाने की वजह सें प्रार्थी संख्या 1 ने अपनी प्रैक्टिस यह कहकर छोड दी कि मेरी आयु लगभग 70 वर्ष के आसपास हो चुकी है, मैं वृद्ध हो चुका हूँ अब वृद्धावस्था में नया कानून बहुत पेचीदा है मैं अब इसे नहीं सीख सकता यह कहते हुये प्रार्थी संख्या 1 ने स्वयं अपना व्यवसाय करना बन्द कर दिया और उक्त ऑफिस को प्रतिपक्षी संख्या 1 को सुपूर्द कर दिया। प्रार्थीगण ने अपनी संम्पूर्ण प्रोपर्टी का पारिवारिक विभाजन स्वयं द्वारा किया हुआ है जिसके

उपखण्ड अधिकारी कोटा

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

फर्द अहकाम
(नियम 26)

कोटा

अनुसार बडे पुत्र अमित खंडेलवाल को 21 वीर सावरकर नगर कोटा साईज 25 बाई 50 जो कि चार मंजिला बना हुआ है जिसकी बाजार कीमत लगभग 4,00,00,000/–रुपये है तथा मझला पुत्र कपिल खंडेलवाल को 10–जी– 25 महावीर नगर तृतीय, कोटा जिसकी साईज 35 बाई 67 वर्गफुट है। जिसकी कीमत लगभग 2 करोड रूपये है तथा इसके साथ प्रार्थी रामावतार के कैथून रोड पर लगभग 20 बीघा आराजी है जिसकी कीमत एक करोड रूपये है। प्रार्थीगण स्वंय की इच्छा से बड़े पुत्र अमित खंडेलवाल के साथ रहने के लिए मकान न० 21 वीर सावरकर नगर, कोटा में गये है एवं बड़े पुत्र के साथ वर्तमान में निवास कर रहे है चूंकि प्रतिपक्षीगण के विवाह के पश्चात से ही प्रार्थीगण सेवा प्रतिपक्षीगण द्वारा लगातार की जाती रही है परन्तु प्रार्थीगण वृद्धावस्था होने के कारण अधिक चिड़चिड़े हो चुके है। जो आये दिन प्रतिपक्षीगण के साथ गाली गलौच व बदतमीजी करते है। प्रतिपक्षीगण के विवाह के पश्चात से ही प्रार्थीगण, प्रतिपक्षी संख्या 2 श्रीमती प्रियंका खंडेलवाल को कम दहेज लाने को लेकर लगातार तंग व प्रताडित किया जाता रहा है तथा कई बार अपमानित किया गया है तथा को भाजता दिया अपने पीहर से 50 लाख रूपये कैश मंगाने को लेकर गाली गलौच की गई है तथा नही मंगाने पर घर से बाहर निकालने की धमकियां पूर्व में कई बार दी गई है। प्रतिपक्षी संख्या 1 प्रार्थीगण का सबसे प्रिय पुत्र है जिस पर झूठे मारपीट के आरोप लगाये गये है जबकि प्रतिपक्षी संख्या 1 के विवाह होने के पश्चात से ही नोटिस प्रेषित करने के तीन माह पूर्व तक प्रतिपक्षी संख्या 1 व 2 द्वारा ही प्रार्थीगण की सेवा सुश्रूषा की गई। प्रार्थीगण धन लोभी प्रवृत्ति के व्यक्ति है इस कारण प्रतिपक्षीगण को झूठा नोटिस प्रेषित करवाया एवं इसी आधार पर झंठे, मनगढन्त तथ्यों पर आधारित यह आवेदन पेश किया गया। प्रतिपक्षी संख्या 1 गुमानपुरा में एक छोटे से. कमरे में अपना इनकम टेक्स एडवोकेट का ऑफिस का संचालन कर अपने परिवार का गुजर–बसर कर रहा है तथा पूरी बिल्डिंग पर प्रार्थीगण का ही कब्जा है तथा प्रार्थीगण के पास लगभग 40–50 लाख रूपये की एफ.डी. है जिसका सम्पूर्ण ब्याज प्रार्थीगण ही रखते है। इस प्रकार प्रार्थीगण वर्तमान में भी. करोडो की सम्पत्ति के मालिक है। प्रार्थीगण, प्रतिपक्षी संख्या 1 के ऑफिस चले जाने के बाद घर पर आकर प्रतिपक्षी संख्या 2 से लड़ाई झगडा करते हैं। प्रतिपक्षीगण ने प्रार्थीगण को मकान नं–10–जी–20 महावीर नगर तृतीय, कोटा से कभी नहीं निकाला एवं ना ही उस पर कब्जा किया है। प्रार्थीगण स्वयं अपनी मर्जी से उक्त परिसर से जाकर अपने दूसरे पुत्र अमित खण्डेलवाल के पास .म०नं० 21 वीर सावरकर नगर कोटा पर निवास करते चले आ रहे है। उक्त वीर सावरकर नगर स्थित मकान जिसके प्रथम तल पर कटलानुमा मार्केट है जिसका संपूर्ण किराया भी प्रार्थीगण ही प्राप्त करते चले आ रहे हैं। प्रार्थीगण के उक्त परिसर में रहने के दौरान प्रतिपक्षीगण ने सम्पूर्ण सेवा सुश्रुषा इत्यादि की है तथा वर्तमान में भी करने को तैयार है बशर्तें प्रार्थीगण, प्रतिपक्षी संख्या 2 प्रियंका खंडेलवाल से 50 लाख रूपये अपने पीहर से मंगाने के लिए दबाव न डाले एवं ना ही लडाई झगडा करें। प्रार्थी संख्या 1 के पैरेलाईसिस अटैक आ जाने के कारण उसकी संपूर्ण देखभाल प्रतिपक्षी संख्या 1 द्वारा की गई। प्रार्थी संख्या 1 के दिमाग में क्लोटिन आने के कारण अब सोचने समझने की शक्ति क्षीण हो गई है इसी बात का फायदा दोनों भाईयो व उनकी पत्नी के द्वारा नाजायज रूप से उठाकर पिताजी द्वारा कमाई गई प्रोपर्टी को दूसरे दोनो भाईयों ने कब्जा करने का प्रयास किया। प्रार्थीगण द्वारा आवेदन पूर्णतया पोषणीय नहीं होने के कारण खारिज होने योग्य है क्योंकि माता – पिता और वरिष्ठ नागरिको का भरण पोषण अधिनियम की धारा 4 (1) में स्पष्ट उल्लेख है कि वरिष्ठ नागरिक जिसके अन्तर्गत माता–पिता भी सम्मिलित है जो अपने स्वयं के अर्जन या अपने स्वामित्वाधीन सम्पत्ति से स्वयं का भरण पोषण करने में असमर्थ है ऐसी स्थिति में ही भरण पोषण के अधिकारी है जबकि प्रार्थीगण करोडो की प्रोपर्टी के मालिक है और उनके तीन चार कोटा शहर में मकान है जिनकी वर्तमान कीमत प्रत्येक की

उपखण्ड अधिकारी ★ कोटा

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

करोड़ो में है तथा कैथून जिला कोटा में 40 बीघा के लगभग कृषि भूमि स्थित है जिससे भी प्रार्थीगण को आमदनी होती है तथा गुमानपुरा कोटा स्थित मकान जिसमें मात्र एक कमरे में प्रतिपक्षी संख्या 1 एकमात्र कमरे में ऑफिस संचालित कर रहा है शेष दो मंजिला परिसर का किराया प्रार्थीगण ही प्राप्त कर रहे है तथा प्रार्थीगण की विभिन्न बैंको में लाखो की एफ.डी. यां सुरक्षित है जिसका ब्याज भी प्रार्थीगण ही प्राप्त करते चले आ रहे हैं ऐसी सूरत में प्रार्थीगण किसी भी सूरत में स्वयं का भरण पोषण करने में असमर्थ नहीं हैं। अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज फरमाया जावे।

प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण की ओर से लिखित बहस प्रस्तुत कर अपने अपने प्रार्थना पत्र एवं जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों को दोहराया।

उपरोक्तानुसार बाद बहस पत्रावली में निहित दस्तावेजों का अवलोकन एवं बहस में दर्शित तथ्यों पर मनन किया गयाजिसके अनुसार प्रार्थना पत्र में अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीगण के साथ बदसलूकी, गाली गलौच एवं मारपीट करने एवं प्रार्थीगण को मकान से बेदखल करने का कथन किया है परन्तु प्रार्थीगण द्वारा अपने वर्णित कथनों के सम्बंध में इस प्रकार का कोई भी दस्तावेज या सबूत या रिपोर्ट प्रस्तुत नही की गई जिससे प्रार्थीगण के कथनों को प्रमाणित किया जा सके। जिस कारण से प्रार्थीगण अपने उक्त कथनों को सिद्ध करने में असमर्थ रहे है। अतः प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थी को वर्णित मकान मकान नम्बर 10–जी–20 महावीर नगर III कोटा एवं गुमानपुरा स्थित ऑफिस से बेदखल किये जाने की प्रार्थना स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नही होता है। अप्रार्थीगण द्वारा अपने जवाब एवं लिखित बहस में कथन किया है कि प्रार्थीगण के पास आय के पर्याप्त साधन है जिससे प्रार्थीगण अपना भरण पोषण स्वयं करने में सक्षम है। प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण के उक्त कथन का बलपूर्वक खण्डन नही किया गया है जिस कारण से अप्रार्थीगण के उक्त कथन अखण्डनीय रहे है। प्रार्थीगण के पास आय के पर्याप्त साधन उपलब्ध होने से प्रार्थीगण इस प्रार्थना पत्र के माध्यम से किसी प्रकार की सहायता प्राप्त करने के अधिकारी नही है। अतः प्रार्थीगण के ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत भरण पोषण अधिनियम अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

उक्त निर्णय आज दिनांक: 25/10/24 को मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

गजेन्द्र सिंह
उपखण्ड अधिकारी
कोटा

उपखण्ड अधिकारी
कोटा